स्थानीय भाषाओं की वर्तमान चुनौतियाँ

डॉ0 अल्पना शर्मा*

शोध सारांश

विश्व में अनेक भाषाएँ बोली जाती हैं जिनमें से कुछ स्थानीय भाषाएँ जो अपने आप में एक संस्कृति विशेष को समेटे हुए हैं वे विलुप्ति के कगार पर हैं, कुछ भाषाएँ समाप्त भी हो चुकी हैं। यूनेस्को ने संकटग्रस्त भाषाओं का मानचित्र प्रस्तुत किया है जिनमें भारत की 197 भाषाएँ खतरे की स्थिति में हैं। भाषाविद् एम. गणेशन के अनुसार दुनिया की 4000 भाषाओं पर अगले 50 वर्षों में लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। जिनमें से 10 प्रतिशत भाषाएँ भारत में बोली जाती हैं। दूसरे शब्दों में हमारी कुल 780 भाषाओं में से 400 भारतीय भाषाएँ विलुप्त हो सकती हैं। स्थानीय भाषा संस्कृति जो कि अपने आप में अनूठी है तथा विविधताओं को समेटे है वे विभिन्न चुनौतियों को झेल रही हैं। उस संस्कृति के संवर्द्धन और विकास के लिए आवश्यक है कि उसे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में बढ़ावा दिया जाए। अतः शोधार्थी ने स्थानीय भाषाओं के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है जिससे हम इन चुनौतियों के समाधान की ओर अग्रसर हो सकें तथा ये भाषाएँ अपने महत्व को प्राप्त कर सकें। विषय–वस्तु विश्लेषण, विवरणात्मक एवं अवलोकन विधि अपनाई गई है। चूंकि शोधार्थी राजस्थान की निवासी है, राजस्थानी के सन्दर्भ में यह अध्ययन किया गया है।

मुख्य शब्द– स्थानीय भाषाएँ, वर्तमान, चुनौतियाँ।

प्रस्तावना

मातृभाषा और लोक भाषा के समृद्ध भण्डार सूखते जा रहे हैं। हम भाषा संस्कार से न केवल विमुख हैं अपितु उसे भ्रष्ट भी कर रहे हैं। यूनेस्को ने संकटग्रस्त भाषाओं का मानचित्र प्रस्तुत किया है जिनमें भारत की 197 भाषाएँ खतरे की स्थिति में हैं। ऐसे में जब हमारी मातृभाषाएँ संकट में हैं तो शोधार्थी ने मातृभाषाओं के प्रति राष्ट्र को जागरूक करने, उसकी उपयोगिता व महत्त्व का सभी को ज्ञान करवाने एवं उन्हें लुप्त होने से बचाने के लिए, उनके समक्ष आ रही चुनौतियों की पहचान करने के लिए अध्ययन करने पर शोधार्थी ने पाया कि स्थानीय भाषाओं व मातृभाषाओं से सम्बन्धित अध्ययन हुए हैं परन्तु भाषाओं की चुनौतियों से जोड़कर कम ही अध्ययन हुआ है इसी दृष्टिकोण के चलते शोधार्थी ने प्रस्तुत विषय को शोध हेतु चुना।

अध्ययन की आवश्यकता

स्थानीय भाषा संस्कृति जो कि अपने आप में अनूठी है तथा विविधताओं को समेटे है उस संस्कृति के संवर्द्धन और विकास के लिए आवश्यक है कि उसे वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में बढ़ावा दिया जाए। करोड़ों जन की मातृभाषा आज इस कारण भी उपेक्षित है कि उसका सम्पूर्ण परिचय न भारतीयों को है, न ही विश्व साहित्य को। भारतीय संविधान में बाईस भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है लेकिन राजस्थानी जैसी समृद्ध व सम्पन्न भाषा अपनी महत्ता को प्राप्त करने के लिए जूझ रही है। राजस्थानी भाषा आजादी से पूर्व राजस्थान, मालवा, उमरकोट (पाकिस्तान) की राजभाषा थी। इसकी अनेक बोलियां व डिंगल, पिंगल कविता की शैलियां हैं। सिंधी, पंजाबी, गुजराती, मराठी, हिन्दी के आदिकाल, मध्यकाल राजस्थानी लिपि मुड़िया में ही हैं। इसके गीत छंद के 120 भेद हैं। 2003 में राजस्थान विधानसभा में एक प्रस्ताव भी पास किया गया जो कि अभी तक लम्बित है। अनेक आंदोलन भी चले हैं लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं। अतः राजस्थान ही नहीं वैश्विक स्तर पर भी स्थानीय भाषाओं को पहचान मिले इसलिए शोधार्थी ने इस विषय पर अध्ययन का निर्णय लिया।

अध्ययन का महत्व

'हम भाषा को नहीं बनाते भाषा हमें बनाती है' अज्ञेय के इस कथन को बीज रूप में लेकर ही भाषा की भूमिका स्पष्ट होगी।

* सहायक प्रोफेसर, आई.ए.एस.ई (मानित विश्वविद्यालय) गाँधी विद्या मन्दिर, सरदारशहर, चूरू

यह सर्वमान्य है कि वर्तमान युग परिवर्तन का युग है। हमारे चारों ओर का परिदृश्य जैसा कल था आज वैसा नहीं है और जैसा आज है वैसा कल नहीं होगा। इस बदलते परिदृश्य में व्यक्ति की सोच और उसकी अभिव्यक्ति की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। चीन की मंदारिन से बड़ा परिवार हिंदी का है जिसमें हरियाणवी, मेवाड़ी, राजस्थानी, मालवी, हाड़ौती, ब्रज, अवधी, मैथिली, भोजपुरी आदि है। देश की समृद्ध भाषा परम्परा में 800 से अधिक बोलियाँ संविधान की अनुसूची में मान्यता प्राप्ति के साथ हैं फिर भी भाषाएँ अस्मिता खो रही हैं, मर रही हैं। अतः इन भाषाओं व बोलियों को नष्ट होने से बचाने के लिए इनके सामने आ रही चुनौतियों को स्पष्ट करना आवश्यक है।

अध्ययन का औचित्य

अद्यावधि स्थानीय भाषाओं पर अनेक अध्ययन हुए हैं लेकिन उनकी चुनौतियों से जुड़े अध्ययन कम ही हुए हैं। जब स्थानीय भाषाओं की चुनौतियों को चिन्हित किया जाएगा तभी उनका समाधान सम्भव हो पाएगा।
संदर्भ साहित्य के अध्ययन के दौरान शोधार्थी को स्थानीय भाषाओं की चुनौतियां व समाधान विषय पर कोई अध्ययन नहीं पाया अतः शोधार्थी ने प्रस्तुत विषय को अध्ययन हेतु चुना है।

समस्या कथन :– शोध को प्रबन्धोचित भाषा में निश्चित शब्दावली में बाँधा जाता है जो शीर्षक कहलाता है। प्रस्तुत शोध का भी शीर्षक निर्धारित किया गया है– ''स्थानीय भाषाओं की वर्तमान चुनौतियाँ व समाधान''

अध्ययन के उद्देश्य

1. स्थानीय भाषाओं की चुनौतियों का (वर्तमान परिप्रेक्ष्य) में अध्ययन करना।

शब्दावली की व्याख्या

1. स्थानीय भाषाएँ –
"लोक व्यवहारे प्रचलित वागेन व्यवहृता"
अर्थात लोक व्यवहार में प्रचलित "वाग्" शब्द ही भाषा शब्द के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। भाषा के विभिन्न रूप प्रमुखतः दो आधारों पर आधारित है इतिहास व भूगोल। संस्कृत, पालि, प्राकृत अपभ्रंश ये भेद ऐतिहासिक हैं। भौगोलिक दृष्टि से अधिक व्यापक रूप भाषा है फिर बोली व स्थानीय बोली व इसका संकीर्णतम रूप बोली है। स्थानीय अर्थात (स्थान + छ) स्थान विशेष से सम्बद्ध होता है। भाषा का यह रूप स्थानीय भाषा बहुत सी व्यक्ति भाषाओं का सामूहिक रूप है जिनमें आपस में कोई स्पष्ट अंतर न हो।

2. वर्तमानः–
काल के तीन प्रकार हैं भूत, भविष्य और वर्तमान। वर्तमान अर्थात् आज का समय जो अभी चल रहा है।

3. चुनौतियाँः–
कार्य करते समय हमारे समक्ष जो बाधाएँ आती हैं जिनको लड़कर हमें आगे बढ़ना होता है वे चुनौतियाँ कहलाती हैं।

अध्ययन विधि व प्रक्रिया :–
प्रस्तुत अध्ययन में भाषा वर्तमान चुनौतियों का अध्ययन कर उन्हें उजागर करना है अतः यहाँ विषय–वस्तु विश्लेषण, विवरणात्मक एवं अवलोकन विधि अपनाई गई है।

परिसीमन :– शोध के अन्तर्गत स्थानीय भाषा का विद्यार्थियों के सांस्कृतिक विकास में योगदान का अध्ययन किया गया। चूंकि शोधार्थी राजस्थान की निवासी है अतः राजस्थानी भाषा के विविध चुनौतियों का अध्ययन किया गया है।

सम्बन्धित साहित्य का पुनरावलोकन

अध्ययन के दौरान शोधार्थी द्वारा पूर्व में किये गये शोध अध्ययनों का पुनरावलोकन किया जिसमें 30 भाषाओं व 6 विदेशी शोध कार्यों का अध्ययन किया। मीना, एम.एल. व धीरज ने (2010) में राजस्थान के मारवाड़ क्षेत्र के परम्परागत लोक माध्यम विषय पर, त्रिवेदी, प्रवीण (2015) ने मालवांचल के पुरातात्विक स्थलों में लोक संस्कृति का अंकन विषय पर, पूनियां, बलवीर सिंह

(2015) ने 'राजस्थानी भाषा पन्द्रह सौ वर्ष पुरानी' विषय पर, मोदी, मीनाक्षी (2015–16) ने 'लोक संस्कृति में शैक्षिक निहितार्थ विषय पर, पाण्डे, राजीव (2004) ने रूहेलखण्ड का सांस्कृतिक अध्ययन नामक विषय पर शोध कार्य किया। निष्कर्षतः शोधार्थी ने पाया कि स्थानीय भाषा की विद्यार्थी के सांस्कृतिक विकास से जोड़कर अध्ययन कम हुआ है। अतः प्रस्तुत विषय स्थानीय भाषाओं की चुनौतियां व समाधान विषय पर कोई अध्ययन नहीं पाया। अतः शोधार्थी ने प्रस्तुत विषय को अध्ययन हेतु चुना है।

चुनौतियाँ

वर्तमान युग उदारवाद, का युग है। वैश्वीकरण का युग है। आधुनिकता व उत्तर आधुनिकता जैसे सम्प्रत्यय सामने आ रहे हैं। भाषाविद् एम. गणेशन के अनुसार दुनिया की 4000 भाषाओं पर अगले 50 वर्षों में लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। जिनमें से 10 प्रतिशत भाषाएँ भारत में बोली जाती हैं। दूसरे शब्दों में हमारी कुल 780 भाषाओं में से 400 भारतीय भाषाएँ विलुप्त हो सकती हैं। इसका प्रभाव भी प्रत्यक्ष रूप से हमारी भाषा व संस्कृति पर पड़ा है। उदारवाद एवं वैश्वीकरण के कारण सभी देशों की संस्कृतियाँ, विचार नजदीक आ रहे हैं। एक दूसरे देशों का प्रभाव पड़ रहा है। हमारे देश में भी आधुनिकीकरण का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। आधुनिकीकरण के कारण हम अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं और जब हम स्वयं अपनी सांस्कृतिक विरासत को छोड़ेंगे तो आगामी पीढ़ी को इसे कैसे हस्तांतरित कर पायेंगे। वर्तमान में स्थानीय भाषाएँ इस चुनौती को झेल रही हैं। आज के विद्यार्थी अधिकांशतः अंग्रेजी विद्यालयों में ही प्रवेश लेते हैं जिसमें उन्हें अंग्रेजी का अधिकाधिक प्रयोग करना पड़ता है। अंग्रेजी में ही वार्तालाप भी अंग्रेजी स्कूलों की अनिवार्यता है। वर्तमान में 25.7 प्रतिशत लोग अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। स्थानीय भाषा के कम प्रयोग व कम प्रचलन के कारण उनमें निहित सांस्कृतिक तत्वों का ज्ञान भी बालक को नहीं हो पाता इसी प्रकार अपनी संस्कृति, सभ्यता को अपनाने वाले को भी पिछड़ा माना जाता है।

इंटरनेट व सोशल मीडिया के प्रयोग के कारण सभी विद्यार्थी वर्ग अपने साहित्य व संस्कृति में अधिक रूचि नहीं ले पाते। यहाँ तक कि वे अपनी संस्कृति के बारे में अधिक जान भी नहीं पाते। साहित्य की दुनिया में पाठकों की कमी की बात समय–समय पर उठती रही है। पाठकों की कमी का कारण सोशल मीडिया को ही माना जाता है। प्रारंभ में टी.वी के कारण पठन व लेखन की प्रवृत्ति प्रभावित हो रही थी लेकिन अब सोशल मीडिया भी इस कड़ी में जुड़ गया है। विविध प्रकार के नये गेजेट्स भी साहित्य से विद्यार्थियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मीडिया के इन सभी प्रकारों में रोज नये साहित्य की रचना अवश्य होती है लेकिन इससे लेखन में रचनाशीलता, सृजनात्मकता व पाठकीयता का विकास युवा वर्ग में नहीं हो पाया है। सोशल मीडिया पर हड़बड़ी बहुत है जिससे सांस्कृतिक साहित्य को नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोगों की किताबें पढ़ने की या किसी बड़ी रचना को या प्राचीन ग्रन्थों को पढ़ने की आदत छूट रही है।

यूनेस्को ने संकटग्रस्त समाप्त होती भाषाओं का मानचित्र प्रकाशित किया है। उसमें कहा है कि विश्व में 2464 व भारत में लगभग 197 भारतीय भाषाएँ/बोलियाँ नष्ट होने के कगार पर हैं। हाल ही में अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में एकमात्र 'वो' कबीले के अंतिम आदिवासी की मृत्यु के पश्चात एक बोली समाप्त हो गई क्यों कि उसे बोलने वाला कोई नहीं बचा।

आवश्यकता इस बात की है कि बालक की क्षमतानुसार सहज, रोचक व स्वाभाविक रूप से मातृभाषा में शिक्षा दी जाए जिससे बालक में ज्ञान के प्रति नीरसता उत्पन्न न हो। हाल ही में राजस्थान में स्टेट ओपन स्कूल ने राजस्थानी को भाषा व विषय दोनों के रूप में अपनाया है। 21 फरवरी 2000 से यूनेस्को ने अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का निर्णय लिया। ओबामा सरकार की कार्यकारी शाखा के लिए जारी नौकरियों के आवेदन के लिए दुनिया की 101 भाषाओं में से 20 भाषाएँ भारतीय थीं जिनमें राजस्थानी भी शामिल है।

मायड़ भाषा हैं भली, भलो आपनो देश।
खान–पान आपणों 'हनी' भलो आपणो वेश।।

प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में नहीं दी जाती है। नई शिक्षा नीति 2019 के ड्राफ्ट मे त्रिभाषा फार्मूले के अनुसार मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। सरकारी कामकाज में भी स्थानीय भाषा का प्रयोग नहीं होता। विधायक व सांसद आदि शपथ मातृभाषा में नहीं लेते। यही सब कारण राजस्थानी भाषा के महत्व को कम करने में सहायक हैं।

"सगळी भासावां नै मानता
राजस्थानी नै टाळौ क्यूं?
म्हारी जबान पर ताळौ क्यूं?"

स्थानीय साहित्य, संस्कृति व भाषा उपेक्षित क्षेत्र है। स्थानीय भाषाओं का विकास व संस्कृति के विस्तार की आवाज

उठाने वाला या उसको सुनने वाला कोई नहीं है। एक राष्ट्रीय अभियान चलाने की घोषणा की थी। जब नेपाली को यह दर्जा मिल सकता है तो दुनिया के 11 करोड़ (अब 15 करोड़) राजस्थानी भाषा के जानकारों की भाषा को क्यों नहीं। 1961 की जनगणना में राजस्थानी को स्वतंत्र भाषा माना गया लेकिन 1971, 81, 91, 01 व 11 की जनगणना में राजस्थान को हिन्दी प्रदेश माना गया। राजस्थानी भाषी को हिन्दी भाषियों के साथ जोड़ा गया, प्रवासी राजस्थानी भी हिन्दी भाषी माने गये। गैर हिन्दी भाषी प्रदेश मानने पर 2001 के अनुसार राजस्थानी बोलने वालों की संख्या 8 करोड़ और प्रवासी मारवाड़ियों की संख्या 3 करोड़ मानी जाएगी तथा 2011 के अनुसार राजस्थानी बोलने व समझने वालों की संख्या 13 करोड़ हो जाएगी। इतना विस्तार होने पर भी इसे वह दर्जा प्राप्त नहीं है जो होना चाहिए।

एक तर्क यह भी दिया जाता है कि इसकी अपनी लिपि नहीं है लेकिन इस तर्क के अनुसार नेपाली की लिपि भी देवनागरी है फिर उसे मान्यता क्यों दी गई। प्राचीन समय में राजस्थानी की अलग लिपि थी जिसे मुड़िया, मोड़िया या महाजनी लिपि कहा जाता है, जो राजा टोडरमल की देन है। इसका प्रयोग मुनीम खाता–बही लिखने के लिए करते थे। इसे फिर से उजागर करने की आवश्यकता है।

राजस्थानी के विरूद्ध यह तर्क असंगत है कि इसमें एक समानता नहीं है। अनेक बोलियाँ हैं। किसी भाषा में जितनी अधिक बोलियां होती हैं वह भाषा उतनी ही समृद्ध मानी जाती है। 1908 में ग्रियर्सन ने मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली सभी भाषाओं को संयुक्त रूप से 'राजस्थानी' नाम दिया। शिवचन्द्र भरतीया राजस्थानी के जनक माने जाते हैं। राजस्थानी में पृथ्वीराज रासो व 'बेलि कृश्ण रूकमणी री' जैसे प्राचीन महाकाव्य हैं। फिर विश्व की समस्त भाषाएँ ही बोलियों के संगम से बनी हैं। यहाँ तक कि अंग्रेजी भी लगभग 35 बोलियों से मिलकर बनी है। आंचलिक शब्द तो भाषाओं को समृद्ध व सशक्त बनाते हैं। एक सच यह भी है कि राजस्थानी की सभी बोलियों में आपस में अहंकार की भावना भी मूल कारण है। इस सम्बन्ध में पुरूषोत्तम लाल मैनारिया ने कहा है कि ''बारां कोसां बोली बदले'' यह सिद्धान्त सभी भाषाओं पर लागू होता है। राजस्थानी भाषा मारवाड़ी, मेवाड़ी, मालवी, बागड़ी, ढूंढ़ाड़ी और हाड़ौती आदि अनेक बोलियां हैं लेकिन वे एक दूसरे से इतनी भी भिन्न नहीं है कि आपस में समझी न जा सकें। पश्चिमी राजस्थानी जो मारवाड़, मेवाड़, अजमेर–मेरवाड़ा, सिरोही, बीकानेर और शेखावाटी आदि क्षेत्रों में प्रचलित है, खड़ी अर्थात स्टैन्डर्ड राजस्थानी के रूप में राजस्थान में वर्षों से स्वीकृत हो चुकी है।'' सरकार को राजस्थानी को एकरूपता के आधार पर प्रतिष्ठित करने के लिए इसे संवैधानिक मान्यता दिलाने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए एक आयोग गठित करना चाहिए जिसमें भाषा विशेषज्ञों, साहित्यकारों व इस भाषा के प्रबल समर्थकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा इस आयोग को समयबद्ध कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश देना चाहिए। पिछले 68 वर्षों में सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया।

राजस्थान की विभिन्न अकादमियों के पद रिक्त पड़े हैं तथा इनके सार–संभाल की कोई योजना नजर नहीं आती है। सन् 2001 की जनगणना में जोधपुर के पूर्व महाराजा गंगासिंह ने राजस्थानियों से अपनी मायड़ भाषा 'राजस्थानी' अंकित करने की अपील की थी लेकिन राजस्थानी आंदोलन के समर्थक लेखक, साहित्यकार सभी शांत रहे। स्थानीय भाषाओं के गीतों, कथाओं और साहित्य के अकूत भण्डार वाली इस भाषा का राजस्थान में राजस्थानी नाम ही न्याय संगत है। आज इस भाषा के पास अपना शब्दकोश हैं। शब्दकोश रचना का प्रथम प्रयास बीकानेर के नरोत्तमदास स्वामी ने किया था। तत्पश्चात् सीताराम लालस ने एक पूर्ण रूप से वैधानिक शब्दकोश की रचना की, स्थानीय साहित्य का अनूठा व विपुल भण्डार वो इसमें है ही। इसे विडम्बना ही कहेंगे कि राजस्थानी भाषा को अपने देश में मान्यता नहीं है। अमेरिका की लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने इसे विश्व की 13 समृद्धतम भाषाओं में एक मानते हुए कवि कन्हैयालाल सेठिया की 75 मिनट की रिकार्डिंग कर संग्रहित की है।

एक कारण रिजर्व बैंक भी बताता है कि भारतीय नोट पर एक ओर भाषा के लिए स्थान नहीं है जबकि सभी संवैधानिक मान्यता प्राप्त भाषाओं को पहले भी इसमें स्थान नहीं मिला है अतः यह बहाना भी सही नहीं ठहरता।

स्थानीय भाषा (राजस्थानी) की फिल्में दर्शकों द्वारा पसंद भी नहीं की जातीं और पिछले सौ साल में केवल 60 राजस्थानी फिल्में बन पाई हैं। एक तो कारण यह है कि सरकार का इन फिल्मों के प्रति नकारात्मक रवैया है। सरकार को इन फिल्मों के प्रोत्साहन हेतु कोई योजना बनानी चाहिए। वर्तमान में सब्सिडी के रूप में सरकार 5–10 लाख रूपये देती है लेकिन इससे कुछ फिल्में ही प्रभावित हुई हैं। सरकार को लोकेशन फ्री, अवार्ड समारोह जैसी योजनाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

स्थानीय भाषाओं की विभिन्न चुनौतियों को इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है–

1. स्थानीय भाषा के स्थान पर अंग्रेजी या हिंदी के प्रयोग पर बल।

2. स्थानीय भाषा की बोलियों में एकरूपता का न होना।
3. जनगणना में स्थानीय भाषाओं का अलग क्षेत्र न दर्शाना।
4. स्थानीय भाषा का कम प्रयोग व कम प्रचलन।
5. इंटरनेट व सोशल मीडिया के प्रयोग के कारण स्थानीय भाषा व संस्कृति से कम सम्पर्क।
6. साहित्य की दुनिया में पाठकों की कमी सोशल मीडिया का ही प्रभाव है।
7. युवा वर्ग में रचनाशीलता, सृजनात्मकता व पाठकीयता के विकास का अभाव।
8. अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों का कुकुरमुत्ता की तरह खुलना।
9. स्थानीय भाषा में अंग्रेजी शब्दों का अधिक प्रयोग।
10. संकटग्रस्त व समाप्त होती स्थानीय भाषाएँ।
11. सरकारी कामकाज में स्थानीय भाषा का प्रयोग न होना।
12. समृद्ध साहित्य के बावजूद स्थानीय भाषा को मान्यता न मिलना।
13. स्थानीय मनोरंजन के साधनों जैसे नाटक, फिल्म, साहित्य आदि को प्रोत्साहन न देना।
14. शिक्षा व्यवस्था में स्थानीय भाषा के साहित्य को शामिल न किया जाना।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. भारद्वाज, रामदेव.राजस्थान पत्रिका (21फरवरी2018).
2. राजस्थान पत्रिका,(6अगस्त,2017).
3. वैष्णव, किशन. (2013). "प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा" विद्या भारती प्रदीपिका
4. हर्ष, हरिदास.(मार्च 2017).विकल्प.बीकानेरःअजित फाउण्डेशन
5. शेखावत, कल्याण सिंह. (1994). राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति. जोधपुरः राजस्थानी ग्रन्थागार.
6. वार्हस्पत्य, किशोर सिंह. (अक्टूबर 1920). झालरा पाटनः सौरभ
7. शर्मा, गोपीनाथ. राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास.जयपुर. राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी
8. कपिल,एच.के.(2007).अनुसन्धान विधियाँ.आगराःएच.पी.भार्गव बुक हाउस
9. शर्मा, आर.ए.(2008).शिक्षा अनुसन्धान. मेरठः आर लाल बुक डिपो
10. www.unesco.org/languages-atlas/index.php.
11. www.unesco.org/languages-atlas/index.php0
12. Education press trust of india ,july 24,2019.
13. Shambhu chaudhary.samaj vikas.blogspot.com
14. Bhasha aur samaj,http://books.google.co.in.
15. http://www.indiatoday.in.topic/linguistic diversity